Running of Trains on Diesel Engines

*366. DR. ALLADI P. RAJKUMAR: SHRI YERRA NARAYANASWAMY:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether electrification Mania leads to high rail travel cost; and

(b) if so, the steps proposed to make the Railways commercially more viable, by running passenger trains on diesel engines?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NITISH KUMAR): (a) No, Sir. Electrification projects are appraised on rational basis and normally only those which are economically viable giving internal rate of return of more than 14% or justified as operational necessity, are considered.

(b) Does not arise.

नमक को आयोडीनयुक्त बनाने हेतु रासायनिक तत्व

*367. **श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नमक को आयोडीनयुक्त बनाने के लिए प्रयुक्त आवश्यक रासायनिक तत्वों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन रसायनों का विदेशों से आयात किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इनके आयात पर प्रत्येक वर्ष कितनी लागत आती है;

(घ) क्या भारत में आयोडीनयुक्त नमक का प्रयोग करना कानूनी रूप से अनिवार्य है; और

(ङ) यदि हां, तो बाजार में आयोडीन-रहित नमक की बिक्री को रोकने के लिए क्या उपाए किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) से (ग) पोटेशियम आयोडेट एक अनिवार्य रसायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग नमक को आयोडीकृत करने में किया जाता है। इसका निर्माण देश में किया जाता है और नमक के आयोडीकरण के लिए देश की कुल जरूरत के अनुसार इसका देश में पर्याप्त उत्पादन होता है।

(घ) और (ङ) खाद्य उपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7(iv) के अन्तर्गत 22 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रत्यक्ष मानव उपयोग के लिए गैर-आयोडीनकृत नमक की बिक्री पर पूरा प्रतिबन्ध और दो राज्यों ने आंशिक प्रतिबंध लगाया है। खाद्य उपमिश्रण निवारण नियमावली 1955 के नियम 44(जी) के अन्तर्गत 27.11.1997 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें सीधे मानव उपयोग के लिए बेचे जाने वाले नमक को अनिवार्य रूप से आयोडीकृत किए जाने की व्यवस्था है। यदि अधिसूचना 27.5.98 से लागू हुई। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के इस अधिसूचना के उपबंधों को कड़ाई से लागू करने और मानीटर करने को निर्देश दिया गया था और उचित मूल्यों पर आयोडीकृत नमक का वितरेण और उसकी आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया था।

Appointment of Professors in AIIMS

*368. SHRI KARTAR SINGH DUGGAL: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) how many selections for various vacant faculty positions of Professors were made during 1997-98, in All India Institute of Medical Sciences;

(b) whether it is a fact that appointment letters in respect of some selections were issued late in the evening the same day and candidates were made to join before the minutes were formally approved; and

(c) the reasons for this desperate hurry and late evening joining of candidates in an Institute of National importance?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DALIT EZHILMALAI): (a) The All India Institute of Medical Sciences has informed that six professors were appointed during the financial year 1997-98 in the Institute.

(b) and (c) The appointment letters in respect of selected candidates to faculty